Hindi

Gangmasters &
Labour Abuse Authority

कर्मियों के अधिकार

कमजोर और शोषित श्रमिकों की रक्षा करना

आपके रोजगार अधिकार

कर्मी के रूप में आपके अधिकार यूके कानून द्वारा संरक्षित हैं। कुछ अधिकार आपके द्वारा नौकरी प्राप्त करते ही लागू हो जाते हैं, जबकि अन्य अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितने समय तक काम करते हैं। इस अनुभाग में बताया गया है कि आपको अपने नियोक्ता से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ये आपके कानूनी अधिकार हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन

अगर आप स्थायी नौकरी पर, छोटी अवधि के अनुबंध पर हैं या किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जो राशि प्राप्त करनी चाहिए वह उचित न्यूनतम वेतन है। आपकी उम्र के आधार पर यह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (NMW) या राष्ट्रीय निर्वाह वेतन (NLW) हो सकता है।

अगर आप 'निर्धारित काम' के लिए वेतन पर हैं (जैसे आपके द्वारा पूरे, पैक या उठाए जाने वाले आइटमों की संख्या), तो भी आप को कम से कम संबंधित न्यूनतम वेतन के बराबर आमदनी होनी चाहिए। इसके कुछ अपवाद है, जिसमें स्वरोजगार वाले और स्वैच्छिक कर्मी शामिल हैं।

न्यूनतम और निर्वाह वेतन की दरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए **GOV.UK** पर जाएं और **'NMW'** की खोज करें।

काम के घंटे

आपको एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, जिसमें किसी तरह का ओवरटाइम शामिल है, जब तक कि आप खुद ऐसा करने का फैसला न करें।

आप हर हफ्ते में कम से कम एक दिन, या हर दो हफ्तों में दो दिन की छुट्टी के हकदार हैं। अगर आप दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, तो आपको आराम के लिए कम से कम 20 मिनट का अवकाश मिलना चाहिए।

वार्षिक अवकाश

आप कानून के द्वारा साल में न्यूनतम हफ्तों के लिए भुगतानशुदा अवकाश के हकदार हैं, जो काम के पहले दिन से शुरू हो जाता है। इसमें अंशकालिक और निश्चित अवधि के लिए अनुबंध वाले कर्मी शामिल हैं। नवीनतम जानकारी के लिए **GOV.UK** पर **'pay and work rights'** (वेतन और कार्य अधिकार) की खोज करें।

आपके अवकाश की पात्रता का विवरण आपके रोजगार के अनुबंध में होना चाहिए। यह आपके काम के सामान्य घंटों (अंशकालिक कर्मियों के लिए यथानुपात) पर आधारित होता है, आपके द्वारा अपने नियोक्ता के लिए किए जाने वाले काम के समय के दौरान अर्जित किया जाता है और इसका भुगतान आपके काम की सामान्य दर के आधार पर किया जाना चाहिए। आपके नियोक्ता को यह फैसला करने का अधिकार है कि आपको कब अवकाश दिया जाए लेकिन अगर आपको अनुमति प्राप्त करने में समस्या हो रही है तो आपको GLAA को कॉल करनी चाहिए।

जब आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको ऐसे किसी अवकाश के लिए भुगतान किया जाना चाहिए जो आपने अर्जित किया है लेकिन लिया नहीं है। अगर आपका नियोक्ता आपको किसी अवकाश को लेने की अनुमति नहीं देता या उस पर आपका अवकाश का भुगतान बकाया है, तो अपने पैसे का दावा करने के लिए मार्गदर्शन के लिए आप Acas Helpline या Citizens Advice से संपर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त संपर्क नंबर खोजने में मदद के लिए, **www.gla.gov.uk/contacts** देखें।

आइटम वाली वेतन पर्ची

जिस दिन आपको भुगतान किया जाता है उस दिन आपको वेतन पर्ची दी जानी चाहिए, जिसमें आपका सकल वेतन और हाथ में मिलने वाला वेतन लिखा जाना चाहिए। यह मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो सकता है और इसमें आपके वेतन से की गई किसी कटौती की राशि और उसके कारण का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

कर और राष्ट्रीय बीमा जैसी कटौतियाँ साप्ताहिक आधार पर बदल सकती हैं और उनका उल्लेख हर वेतन पर्ची में होना चाहिए। आपको अपनी सहमति का अपना वेतन समय पर मिलना चाहिए और इसमें किसी अवकाश या बीमारी का देय वेतन शामिल होना चाहिए।

वेतन में कटौतियाँ

आपका नियोक्ता आपके वेतन से केवल कुछ ही कटौतियां कर सकता है और उनका उल्लेख आपकी वेतन पर्ची पर अवश्य होना चाहिए। आपको हमेशा कटौतियाँ कर लिए जाने के बाद वेतन पर्ची पर दिखाई गई 'निवल राशि' प्राप्त होनी चाहिए।

कुछ कटौतियाँ वैधानिक हैं, जैसे कर और राष्ट्रीय बीमा के लिए अंशदान, अन्य कटौतियाँ वे हो सकती हैं जिन पर आपने अपने रोजगार के अनुबंध में सहमति व्यक्त की है, जैसे आवास या परिवहन के लिए प्रभार। कृपया ध्यान दें कि हो सकता है कि अनुबंध में उल्लेख की गई कुछ कटौतियां कानूनी न हों। अगर आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो GLAA से जाँच करें।

चाहे आप किसी कटौती के लिए सहमत हुए हों लेकिन इसके कारण आपका वेतन संबंधित न्यूनतम वेतन से कम कतई नहीं होना चाहिए, जिसमें केवल सीमित मात्रा में समायोजन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए, **GOV.UK** पर **'pay and work rights'** (वेतन और कार्य अधिकार) की खोज करें।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

काम पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आपके नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है। आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा की जानकारी, प्रशिक्षण, रक्षात्मक वस्त्र और वहां कोई आवश्यक प्रतिस्थापन निःशुल्क मिलना चाहिए, जहां उपयुक्त हो।

बीमारी का भुगतान

आपके रोजगार अनुबंध में इसका उल्लेख होना चाहिए कि अगर आप बीमारी के कारण अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको क्या भुगतान मिलेगा। यूके में आप जिस न्यूनतम राशि के हकदार हैं, वह वैधानिक बीमारी भुगतान (SSP) कहलाता है। यह तब लागू होता है, जब आप काम से लगातार चार या ज्यादा दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। आपके अनुबंध के अनुसार अन्य परिस्थितियों में आपको अतिरिक्त वेतन या लाभ मिल सकते हैं।

आपके नियम और शर्तें

यह आपके और आपके नियोक्ता के बीच अनुबंध है। कानूनी रूप से, अगर आप एक महीने से ज्यादा समय तक काम पर रहे हैं तो आपको आपके नियम और शर्तों का लिखित विवरण दिया जाना चाहिए।

आपको काम शुरू करने के दो महीने के भीतर लिखित रूप में रोजगार के नियम और शर्तें मिलनी चाहिए, और उनमें निम्नलिखित जानकारी अवश्य शामिल होनी चाहिए:

- आपका नाम
- आप किसके लिए काम करेंगे
- आप किस प्रकार का काम करेंगे
- आपके द्वारा काम शुरू करने की तिथि
- आपके काम का स्थान
- आपके भुगतान की दर और आपको कितनी बार भुगतान किया जाएगा (साप्ताहिक या मासिक)
- काम के घंटे
- अवकाश की पात्रता
- बीमारी भुगतान की पात्रता
- अनुशासनात्मक, बर्खास्तगी और परिवेदना कार्यविधियाँ
- वह नोटिस जो आपको त्यागपत्र देने पर देना चाहिए, या जो आपको बर्खास्तगी के बाद मिलना चाहिए

आपका नियोक्ता आपके अनुबंध के नियमों और शर्तों में बदलाव केवल आपकी अनुमति से कर सकता है।

हमसे संपर्क करें

Gangmasters &
Labour Abuse Authority

PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

www.gla.gov.uk

ईमेल: **intelligence@glaa.gsi.gov.uk**

+44 (0)345 602 5020

निःशुल्क गोपनीय रिपोर्टिंग लाइन:

0800 432 0804

अधिक मदद के लिए, यहाँ जाएँ **www.gla.gov.uk/contacts**

Gangmasters & Labour Abuse Authority

UNIVERSITY of DERBY

सूचना-पत्र

GLAA एकेडेमी

द्वारा वित्तपोषित

यूनिवर्सिटी ऑफ़ डर्बी के साथ साझेदारी

GLAA का परिचय

Gangmasters & Labour Abuse Authority (GLAA) वह संगठन है जिसकी स्थापना कर्मियों की शोषण से रक्षा करने के लिए की गई है।

हम ऐसे विशेषज्ञ अन्वेषक नियुक्त करते हैं जो कम वेतन से लेकर बलात श्रम अपराधों, संबंधित मानव तस्करी और आधुनिक गुलामी के अन्य पहलुओं तक कर्मियों की समस्याओं की जांच करने में सक्षम होते हैं।

GLAA 'गैंगमास्टर्स' - यानि वे कंपनियां या व्यक्ति जो यूके के नए उत्पाद क्षेत्रों में भूमिका निभाने के लिए कर्मियों की आपूर्ति करते हैं - के लिए मजबूत लाइसेंसिंग योजना का संचालन जारी रखे हुए है। इसमें कृषि, बागवानी, शेलफ़िश इकट्ठा करना और सभी संबंधित प्रसंस्करण और पैकेजिंग शामिल हैं।

सभी लाइसेंस-प्राप्त गैंगमास्टर्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग मानकों के सेट का अनुपालन अवश्य करना चाहिए। ऊपर सूचीबद्ध उद्योगों के लिए लाइसेंस के बिना अस्थायी कर्मचारियों की आपूर्ति करना अपराध है, जिसमें अधिकतम 10 साल का कारावास हो सकता है। बिना लाइसेंस वाले श्रम प्रदाता के साथ अनुबंध करना भी अपराध है। इसमें अधिकतम छह महीने की सज़ा हो सकती है।

कर्मियों का शोषण रोकने में मदद करें

आपके अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है कि आप ऐसी स्थितियों के अंतर्गत काम करें जिनके लिए आप कानून द्वारा पात्र हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ उचित रूप में, निष्पक्ष रूप से या कानूनी रूप में व्यवहार नहीं हुआ है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।

आपकी जानकारी के बिना हम मदद नहीं कर सकते

आप यह कर सकते हैं:

- हम से सीधे बात करने के लिए **0345 602 5020** को कॉल करें (विकल्प 2) - सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (दुभाषिये उपलब्ध हैं)
- ईमेल **intelligence@glaa.gsi.gov.uk**
- यहाँ हमारी गोपनीय रिपोर्टिंग लाइन पर निशुल्क कॉल करें: **0800 432 0804**
- यहाँ हमारी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी जमा करें: **www.gla.gov.uk**
- हमें इस पते पर लिखें: GLAA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

अगर आप अनुभवी सलाहकार के साथ अपने रोजगार के अधिकारों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो अपने स्थानीय Citizens Advice Bureau से संपर्क करें या **0300 123 1100** पर ACAS Helpline को कॉल करें।

GLAA लाइसेंसिंग मानक

यूके कानून के अनुसार आपके नियोक्ता के लिए यह जरूरी है कि वह कर्मियों की खराब व्यवहार और शोषण से रक्षा करे।

यही कानून आपको कुछ अधिकारों का पात्र बनाते हैं और इनमें इस तरह की चीजें शामिल हैं:

- आपका वेतन – आपको राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन प्राप्त करना चाहिए
- आपको कितना अवकाश वेतन प्राप्त होता है
- आपके अनुबंध में नियम और शर्तें
- काम में अवकाश की लंबाई और बारंबारता
- काम पर आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है
- इस रूप में संचालन करके आपके स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करना जो आपको सुरक्षित रखता है और/या जरूरी होने पर सुरक्षा उपकरण प्रदान करना
- आवास और परिवहन का मानक, अगर आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है

GLAA लाइसेंसिंग मानक – जारी

ये अधिकार उन मानकों द्वारा भी रक्षित किए जाते हैं जो GLAA लाइसेंस पर लागू होते हैं।

अगर आपकी आपूर्ति कृषि, बागवानी, शेलफ़िश इकट्ठा करना और किसी संबंधित प्रसंस्करण और पैकेजिंग में काम करने के लिए की जा रही है तो आपके नियोक्ता के पास वर्तमान लाइसेंस होना चाहिए।

अगर आपको चिंता है कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के काम कर रहा है, या वह अपनी कानूनी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है, तो कृपया GLAA से संपर्क करें।